

The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है—कार्य-सूचि के बारे में . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: When the proceedings started in the morning, this question might have been raised. Now we are on legislative business.

श्री मधु लिमये : पेपर्स ले होते समय मैं खड़ा हो गया था। मोहम्मद इस्माइल साहब बोल रहे थे इस लिये स्पीकर ने हाउस को एडजर्न कर दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is not who disturbed the proceedings. I am not concerned with it.

श्री मधु लिमये : किसने दखल दिया इसकी बात में नहीं कह रहा हूँ। जब वह चीज चल रही थी मैं उसी वक्त खड़ा हो गया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: If he has anything to say regarding the business before the House, I will permit him; Otherwise, not.

श्री मधु लिमये : बिजनेस-बिफोर-दी हाउस के बारे में ही कह रहा हूँ। मेरा व्यवस्था का प्रश्न अरेन्जमेंट आफ़ बिजनेस के बारे में है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can take it up tomorrow if there is any procedural lapse, but if you have anything to say regarding the business before the House, you may do so.

श्री मधु लिमये : मैं कार्य सूची के बारे में ही कहना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्षीय

निर्देश के अनुसार कार्यसूची के बारे में नियम में बने हुए हैं कि ध्यान आकर्षण के बाद प्रापको स्थगन प्रस्ताव या विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव लेना चाहिये उसके बाद पेपर्स-ले किये जाते हैं। मैंने श्री मोरारजी भाई के खिलाफ़ विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव दिया था। कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को जो चन्दा दिया जाता है जिसके सम्बन्ध में यहां पर विधेयक पेश हो गया है तथा इस सदन को वचन दिया गया था उस वचन के बावजूद आज अखबारों में खबर आती है कि मोरारजी भाई ने कहा है कि उस पर हम पुनर्विचार करेंगे क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और दल में विरोध हो रहा है। कांग्रेस के सदस्य स्वतंत्र हैं, वे विरोध करें, लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है—सरकार वचनबद्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, चहार दीवारी के अन्दर यह बात रहनी तो मुझे कुछ नहीं कहना था, लेकिन जब बात अखबारों में छपती है तो प्राप निर्णय दे चुके हैं कि जो बातें अखबारों में छपती हैं उन के बारे में हाउस में विचार हो सकता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि मेरे विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव को आज क्यों नहीं लिया गया। और वह विचाराधीन है, तो उस पर कब बहस होगी—यह प्राप मुझे को बता दीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: As you have pointed out, and rightly so, after Calling Attention, usually adjournment motion, breach of privilege and things like that are taken up. I am told that you had some discussion with the Speaker.

श्री मधु लिमये : मैं उन से मिला नहीं हूँ। मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पाया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, these matters can be raised in the House after the Speaker gives his consent.

श्री मधु लिमये: स्पीकर ने अस्वीकार भी नहीं किया है इसी लिये, जानकारी चाहता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That means the Speaker is seized of the matter, and as you have said, if some assurance is given by the Government and if that is not carried out . . .

श्री मधु लिमये : जब विशेष चीज आई है तब इस को मैंने उठाया है, मेरे पास बहुत से सबत हैं, पत्र हैं, भाषण हैं, मैं अभी उन में नहीं गया हूँ

MR. DEPUTY-SPEAKER: At this time how can you take it up?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : देश का यह बहुत कीमती वक्त है इस से देश का मुकसान हो रहा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You take up the matter with the Speaker and then bring it up before the House. That is the only procedure I can suggest.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Forget for the moment the privilege motion. Is it not open to the Minister to say that what appeared in the press is wrong?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): The meeting about which the report has appeared in the paper is supposed to be a secret meeting.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What appeared in the press cannot be said to be authoritative.

श्री मधु लिमये : आपके यहां क्या कोई चीज गुप्त, सीक्रेट बचनी है आपके ही मंत्री या कर बताते हैं। क्या आप इस को बिनाई करते हैं, क्या आपके कहने का

यह मतलब है कि पैट्रियट में जो खबर छपी है वह गलत है हिम्मत है तो कहिये ?

डा० राम सुभाग सिंह : मैं पूरी जवाबदेही के साथ कहता हूँ कि कार्यकारिणी समिति की जो बैठक होती है वह बिलकुल गुप्त बैठक होती है।

श्री मधु लिमये : मुझे इस से क्या मतलब। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि जो बात छपी है वह ठीक है या नहीं।

SHRI THIRUMALA RAO (Kakirada): May I make a submission? What is supposed to have happened at the meeting of the Congress parliamentary party executive (Interruption).

I would like to draw the attention of Shri Madhu Limaye to the fact that the discussion on this subject was not conclusive, and it has been postponed. Further, he cannot take cognizance of what happens at party meetings or private meetings. It is only what happens in this House which matters.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I entirely agree that whatever may appear in the press regarding party squabbles anywhere on any matters that are discussed, whether in the SSP or CPI or the Congress, we cannot take those reports to be authoritative.

14.11 hrs.

ENEMY PROPERTY BILL—Contd.

Clause 7—(Payment to Custodian of money otherwise payable to an enemy, enemy subject or enemy firm)

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): I beg to move:

Page 3, lines 22 and 23, omit 'unless otherwise ordered by the Central Government'. (2)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The amendment is now before the House.